मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्याः डीजी– परिपत्र-34 दिनांकः जून 10, 2016

सेवा में,

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभियुक्तों के जमानती प्रार्थना–पत्रों पर निर्गत विभिन्न मा0न्यायालयों के नोटिस काफी विलम्ब से मा0 न्यायालयों से प्राप्त किये जाते है। फलस्वरूप इन नोटिसों पर प्रस्तरवार आख्या तैयार कर मा0 न्यायालयों को प्रेषित करने में भी विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इन नोटिसों पर प्रस्तरवार आख्या बिना जनपदीय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के परीक्षण कराये एवं बिना नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) से अग्रसारित कराये विभिन्न मा0 न्यायालयों को प्रेषित की जा रही है। मा0 न्यायालयों में विचारण से पूर्व इन आख्याओं पर शासकीय अधिवक्ताओं को ब्रीफ करने हेतु विवेचक अथवा अन्य किसी भिज्ञ अधिकारी के स्थान पर पैरोकार अथवा अन्य किसी कर्मी को भेज दिया जाता है, जिसे सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी भी नहीं होती है। समयाभाव होने तथा विवेचक अथवा किसी भिज्ञ अधिकारी के न होने के कारण शासकीय अभिवक्ताओं द्वारा इन आख्याओं का सही परीक्षण नहीं हो पाता है। फलस्वरूप अभियुक्तों की जमानत का विरोध विभिन्न मा0 न्यायालयों में सही ढंग से नहीं हो पाता है और इसका अनुचित लाभ उन्हें मिलता है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में आप सभी से पुनः अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्तों के जमानती प्रार्थना–पत्रों पर विभिन्न मा0 न्यायालयों में विरोध हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः

1.परि0 सं0–69/2007 दि0–24.08.2007
2.परि0 सं0–17/2009 दि0–25.03.2009
3.परि0 सं0–71/2014 दि0–24.11.2014
4.परि0 सं0–24/2015 दि0–15.04.2015

(1) शासनादेश संख्याः 25पी/6–पु–3–2010–2(16)पी/09 दिनांक 07.01.2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जनपद से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ लखनऊ हेतु प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को आरक्षी विशेष वाहक के रूप में भेजे जायें। इन आरक्षियों द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, खण्डपीठ लखनऊ के कार्यालयों से जमानत की नोटिसें प्राप्त की जायेंगी तथा पूर्व में प्राप्त नोटिसों से सम्बन्धित आख्यायें उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्राप्त नोटिसों के सम्बन्ध में प्रस्तरवार टिप्पणी जनपद स्तर पर तैयार कराकर इसका परीक्षण जनपदीय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी से कराया जायेगा तथा इसे जनपद के नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) से अग्रसारित कराकर मा0 उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। कोई भी प्रस्तरवार आख्या जनपदीय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के परीक्षण एवं नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक)के अग्रसारण के बगैर प्रेषित नहीं की जायेगी।

(3) जमानतीय प्रार्थना–पत्रों पर तैयार की गयी आख्या का परीक्षण सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यालयों में विवेचक अथवा प्रकरण में पूर्ण रूप से भिज्ञ अधिकारी द्वारा स्वयं जाकर कराया जायेगा। किसी भी हालत में पैरोकार अथवा अन्य अधीनस्थों को जिन्हें प्रकरण की पूर्णा जानकारी न हो को आख्या परीक्षण हेतु नहीं भेजा जायेगा।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों में दिये जाने वाले जमानतीय प्रार्थना–पत्रों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालयों से भी जमानतीय नोटिसें प्राप्त करके नोटिसों पर प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार कराकर इसका परीक्षण ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी से कराने के उपराक्त नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) के अग्रसारण से ही आख्या मा0 न्यायालयों को प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भली–भॉति अवगत करायें तथा इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।